

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, २००६
प्रारूप मूपक ३०

(नियम ३१(१) देखिए)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए प्रत्याक्षेप संख्या
फाइल करने की तारीख

कर बोर्ड को प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन

राजस्थान कर बोर्ड अजमेर में

२०..... की अपील संख्या में

अपीलकर्ता प्रत्यर्थी

.....

संदर्भ : राजस्थान मूपक अधिनियम, २००३ की धारा ८३ की उप-धारा (४) और (५) के अधीन प्रत्याक्षेपों के लिए ज्ञापन

1- व्यवहारी/व्यक्ति का नाम

.....
.....
.....

2- पता

भवन सं./नाम/क्षेत्र

.....
.....

नगर/षाहर

.....
.....

जिला (राज्य)

.....
.....

पिन कोडई-मेल आईडी

.....

दूरभाष संफैक्स नम्बर

.....

3- कर बोर्ड के नोटिस की प्राप्ति की तारीख (दिन/माह/वर्ष) ;; ;; ;;;

तारीख :

हैसियत

- 1- अनुदेशा :
 - १- कृपया अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।
 - २- समस्त प्रविष्टियां बड़े अक्षरों में भरी जायें।
 - ३- लागू वैकल्पिक खानों में ;का निषान लगायें।
 - ४- ज्ञापन तीन प्रतियों में होना चाहिए।
 - ५- यह प्ररूप निम्नलिखित द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए :-
 - क. स्वत्वधारी समुत्थान की दषा में, स्वत्वधारी।
 - ख. भागीदारी फर्म की दषा में प्रबन्ध भागीदार और जहां कोई प्रबन्ध भागीदार नहीं है वहां, रजिस्ट्रीकृत भागीदारी विलेख नहीं होने की दषा में सभी भागीदारों द्वारा और रजिस्ट्रीकृत भागीदारी विलेख की दषा में उनमें से किसी एक द्वारा।
 - ग. कम्पनी की दषा में प्रबन्ध निदेशक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।
 - घ. हिन्दू अविभक्त कुपुम्ब की दषा में कर्ता।
 - ड. अन्य सभी मामलों में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।
 - ६- अतिरिक्त पन्ना संलग्न करें यदि आप उपलब्ध स्थान पर समस्त ब्यौरा देने में समर्थ नहीं हैं।
 - ७- समस्त दस्तावेजों/साक्ष्य को संलग्न करें जिन पर आप अपील में विचार करवाना चाहते हैं।
 - ८- प्रत्याक्षेप की संख्या और वर्ष कर-बोर्ड के कार्यालय में फाइल किये जावेंगे।
 - ९- कर बोर्ड द्वारा यथा आवंणित और प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अपील के नोटिस में उल्लेखित अपील की संख्या और वर्ष प्रत्यर्थी द्वारा भरे जाने हैं।
- आदेशा, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, की मूल या प्रमाणित प्रति मय दो सत्य प्रतिलिपियों के संलग्न करें।